an>

Title: Need to provide adequate compensation as per the provisions of Land Acquisition Act, 2013 to farmers of Siddharth Nagar district, Uttar Pradesh whose lands have been acquired for construction of roads under Indo-Nepal Border Road Project.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज)ः उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण, इंडो-नेपाल बार्डर सड़क परियोजना में किसानों की भूमि क्रय करने की दरों में काफी अनियमितताएँ पायी गयी हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ग्रामीण किसानों की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का तीन गुना एवं शहरी क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का डेढ़ गुना की दर से भूमि ली गयी जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा L.A. Act 2013 (भूमि अधिग्रहण नियम 2013) को स्वीकार करते हुए 1 जनवरी, 2014 को लागू कर दिया गया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण कास्तकारों को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सर्किल रेट या बाजार दर में जो अधिक हो, का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना की दर से भूमि क्रय करने का दिशा निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जनपद सिद्धार्थनगर के इंडो-नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट में कुछ भूमि का क्रय 2014 में एवं कुछ भूमि का क्रय 2016 में पुराने सर्किल रेट से किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा पुराने सर्किल रेट से बनाये गये प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के कास्तकारों में काफी आक्रोश है। अतः भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इस मामले पर तुरंत कार्यवाही की जाए।